3/5/19	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट उपस्थित नहीं। वकील रेस्पोंडेंट उपस्थित। वकील अपीलांट को सूचित किया गया तो उन्होंने बहस हेतु पत्रावली दिनांक 5/5/19 को रखे जाने की अरदास की जिसे न्यायहित में स्वीकार कर पत्रावली दि. 5/5/19 को वास्ते बहस पेश हो। [signature]
5/5/19	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रकरण में उभय पक्ष के अभिभाषकों की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित जिस दिन किया उस दिन कोई उपस्थिति नहीं थी और न ही उसे कोई सूचना दी गई। न ही उसका पक्ष सुना गया। केवल राजस्व अभिभाषक-न्याय आपके द्वारा 206 केस में उसका

P.T.O

[signature]
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

[initials] 11/5/1..

निर्णय दिनांक 30.6.2016 को किया जो नैसर्गिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतो के विपरीत है जो काबिले निरस्त है। इनका यह भी कथन रहा कि इस दावे से पूर्व भी अधीनस्थ न्यायालय में समान पक्षकारों एवं समान विवादित अराजी बाबत राजस्व वाद सं. 152/12 विचाराधीन था और आज भी है जो RT Act की धारा 88, 53, 91, 192, 188 व 209 के तहत प्रस्तुत होकर लंबित है। इस वाद के निस्तारण से पूर्व पश्चातवर्ती इस वाद के निर्णय से अपीलांट का हित प्रभावित होता है इसलिए यदि अपीलाधीन निर्णय की क्रियान्विति हो जाती है तो इनके हितों पर कुठाराघात होगा इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के पूर्व संस्थित वाद सं. 152/12 के निस्तारण तक क्रियान्विति रोकना इनके पक्ष में न्यायोचित होगा।

वकील रेस्पोडेंट का कथन है कि अपीलांट व रेस्पोडेंटगण विवादित अराजी बाबत मुरब्बा-2 बिघों के खातेदार हैं न कि सहखातेदार। रेस्पोडेंट गण के पक्ष में वाद निस्तारण निर्णय किया गया है जो विधि सम्मत है। रेस्पोडेंट्स (वादीगण) ख.नं. 1688/1294 व 1688/2 के रिकॉर्डेड खातेदार हैं इसलिए निर्णय विधि सम्मत है।

पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पोडेंट का मुरब्बा-2 बिघे होकर वे रिकॉर्डेड खातेदार हैं जिनके वाद सं. 152/12 में धारा 53 की इस्तदुआ से इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि विभाजन सहखातेदारों के मध्य होना है जो कि रिकॉर्ड मुताबिक हैं नहीं है। मौके पर यदि राजस्व रिकॉर्ड और कब्जे के संबंध में स्थिति भिन्न-2 है जैसा कि वकील अपीलांट का कथन है तो उभय पक्ष तरमीम दुरस्ती के लिए आवेदन सक्षम न्यायालय में करने के लिए स्वतंत्र है और यह कार्यवाही एक समरी (संक्षिप्त) कार्यवाही ही है इसलिए इसमें 2 माह की अवधि लगना संभाव्य है। यदि उभय पक्ष सद्भाविक रूप से और तथ्यगत परिस्थितियों के आलोक में रिकॉर्ड दुरस्ती कराना चाहते हैं तो उन्हें इस हेतु 2 माह का समय अनुज्ञात करते हुए अपीलाधीन निर्णय के अनुक्रम में क्रियान्विति में या स्थाई आदेश में शिथिलता/छूट दी जानी न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.6.2016 में इस आदेश से अधिकतम 2 माह की अवधि तक शिथिलता/छूट दी जाती है कि अपीलांट या रेस्पोडेंटगण रिकॉर्ड दुरस्ती बाबत चाराजोई कर निर्णय कराना चाहे तो करा कर अनुतोष ले सकते हैं और यदि उपर्युक्त ~~आदेश~~ स्थाई आदेश में दी गई शिथिलता/छूट अवधि में ऐसा नहीं होता है तो अपीलाधीन आदेश अवधि समाप्ति पश्चात यथावत प्रभावी स्वतः हो जाएगा।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर